

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

67

॥ अधिसूचना ॥

सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2015

पटना-15, दिनांक - 23-07-15

सं०- प्र०४/पी०डी०एस०-०७/२०१४- 5819 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना यथा निर्गत जी०एस०आर०-सं०सं०-४-वि०२-०४/२००१-५७३८ दिनांक- 23.06.2011 की कंडिका-४ को निम्नलिखित द्वारा तुरन्त के प्रभाव से प्रतिस्थापित करती है:-

"4. अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु 58 (अठान) वर्ष की आयु के भीतर होने पर ही उनके आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नई अनुज्ञप्ति अनुमान्य होगी।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(एल०पी०सि०ह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:- प्र०४/पी०डी०एस०-०७/२०१४ 5819

दिनांक:- 23-07-15

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अंग्रेजी एवं हिन्दी में विषय शीर्ष के साथ दो सॉफ्ट कॉपी एवं दो हार्ड कॉपी सहित सूचनार्थ एवं बिहार गजट के असाधारण अंक में अविलम्ब प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि उक्त प्रकाशित गजट की एक सौ प्रतियां अद्योहस्ताक्षरी को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:- प्र०४/पी०डी०एस०-०७/२०१४ 5819

दिनांक:- 23-07-15

प्रतिलिपि:- सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग (प्रेस नोट सहित)/ विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना अनुभाजन, पटना/ अपर दण्डाधिकारी (आपूर्ति)/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी /पणन पदाधिकारी/सभी आपूर्ति निरीक्षक/प्रशाखा पदाधिकारी 04 एवं 07, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार/ महामंत्री, बिहार आपूर्ति सेवा संघ, मौर्यालोक, पटना/महामंत्री, बिहार केयर प्राईस डिलर एसोसियेशन, भिखना पहाड़ी पटना/ महामंत्री बिहार प्रदेश जन वितरण प्रणाली दुकानदार संघ, गायघाट, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:- प्र०४/पी०डी०एस०-०७/२०१४ 5819

दिनांक:- 23-07-15

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना/महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, पटना/संयुक्त सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

(62)

Govt. Of Bihar
Food & Consumer Protection Department

Notification

Public Distribution System(Control) Amendment Order, 2015

Patna-15, Dated –

No. Pra.4/PDS-07/2014- / In exercise of power conferred by Sec 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (Central Act 10 of 1995). The Govt. of Bihar, Food and Consumer Protection Department, Bihar, Patna hereby substitutes the para-4 of GSR-S.S-4-V.2-04/2001-5738 dated 23-06-2011 by the following with immediate effect :-

“4. In case demise of licensees within 58 (fifty eight) of their age then only license on compassionate ground shall be admissible to their dependent.”

By the Order of Governor


(L.P. Singh)

Joint Secretary to Government